खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश खरीफ विपणन वर्षः 2021–22, फसलः गेहूँ किसान पंजीकरण

किसान पंजीयन आई0डी0 :		नाम मिस्मैच लंबित, भागीदारी लंबित, 100 कुं0 से अधिक	नाम मिस्मैच लंबित, भागीदारी लंबित, 100 कुं0 से अधिक मात्रा का सत्यापन लंबित, विकय हेतु लॉक (नोट:—1. यदि पंजीकरण प्रपत्र में अंकित किसान का नाम व खतौनी में अंकित नाम में अन्तर होता है				
			तो एस०डी०एम० लॉगिन पर नाम मिरमैच का सत्यापन कराया जाता है। 2. यदि खतौनी में एक से अधिक भागीदार होते है तो एस०डी०एम० लॉगिन पर सत्यापन कराया जाता है।				
		है।					
		3. यदि चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत ग्राम में पंजीकरण होता है	, तो उसका SDM Login पर सत्यापन कराया				
		जाता है।	_				
		4. यदि गेहूँ /धान की विक्य की जाने वाली मात्रा 100	कु0 से अधिक होती है तो एस0डी0एम0 लॉगिन				
			पर सत्यापन कराया जाता है।)				
		5. बटाईदार की स्थिति में शत—प्रतिशत सत्यापन।					
1. किसान का व्यक्तिगत विवरण							
किसान का प्रकार		किसान की श्रेणी					
किसान का नाम (हिन्दी)		किसान का नाम (अंग्रेजी)					
जेंडर		पिता / पति का नाम (हिन्दी)					
पिता / पति का नाम (अंग्रेजी)		आधार सीडिंग की स्थिति					
मोबाइल नम्बर		मोबाइल नम्बर–2					
कियान के प्रियार के यह का विका	ण (जो क्या केन्ट एउ किस्पा	। के स्थान पर आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर विकय व	कर सकेंगे।				
2.	יוויידו זר אייד דייא וויין ויי	1 47 (41) 41 Ollott diditiliX47 Xill-1147(-1 47) 14474 (are viewiy				
नाम (हिन्दी)		पिता / पति का नाम (हिन्दी)					
,		7. पति,					
कृषक से सम्बन्ध (ड्राप डाउन में)	1. पिता						
	2. माता	8. पत्नी,					
	3. भाई	9. दामाद,					
	4. बहन	10. भतीजा					
	5. पुत्र						
	6. पुत्री						
आधार में अंकित नाम (अंग्रेजी)		जेन्डर (पुरूष / महिला)					
आधार नम्बर:-							
आधार सीडिंग की स्थिति							
पंजीकरण के समय ही आधार सीडिंग की ज	 गायेगी ।						

3. किसान के निवास का पता

जिला	क्षेत्र	
तहसील	परगना	
ग्राम	मकान सं0	

4. किसान के बैंक खाते का विवरण

4. 14/(II 1 4/ 44/ MI(I 4/I 144(I	
खातेदार का नाम (हिन्दी)	खातेदार का नाम (अंग्रेजी)
बैंक के जिले का नाम	बैंक का नाम
बैंक शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या
बैंक IFSC सख्या	पी०एफ०एम०एस० द्वारा बैंक खाते की सत्यापन की स्थिति

5. किसान की भूमि का विवरण

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खाता नं0	नाम, पिता / पति का नाम	गाटा सं0 / खसर ा सं0	कुल रकबा (है0)	कुल रकबे में किसान की हिस्सेदारी (है0)	हिस्सेदारी की भूमि में बोये गये गेहूँ का रकबा (हे0)	बेची जाने वाली गेहूँ की मात्रा (कु0)	बेची जाने वाली गेहूँ की सत्यापित मात्रा (कु0)	उपजिलाधिका री गेहूँ की मात्रा सत्यापन की स्थिति	खतौनी का नाम सत्यापन की स्थिति	अभ्युक्ति

- 5.1 SDM द्वारा DSC से Lock किया जायेगा।
- 5.2 12.5 एकड़ से अधिक जमीन होने पर ADM /जिला खरीद अधिकारी Login पर सत्यापन के लिए जायेगा।
- 5.3 भूमि का प्रकार। (भूलेख पोर्टल से केवल उन्हीं भूमि को जोड़ने का विकल्प दिया जाए जो कृषि योग्य भूमि हो)
- 5.4 किसान के गेहूँ का विकय होने के तुरन्त बाद किसान के पंजीकृत मोबाइल पर एक एसएमएस जायेगा जिसमें खरीद का विवरण, मात्रा, धनराशि, किसान का नाम अंकित होगा तथा एसएमएस में यह भी लिखा होगा कि आपने यदि गेहूँ विकय नही किया है तो जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम के नम्बर पर सम्पर्क करें। (जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम का नम्बर जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से फीड किया जायेगा)
- 5.5 कृषक द्वारा अपने गांव से सम्बद्ध क्रय केन्द्र पर ही तौल करायी जा सकेगी। मण्डी स्थित केन्द्र सम्बद्धीकरण से मुक्त रहेगें।

6- टोकन की स्थिति का विवरण

46 1

7- किसान के क्य का विवरण

Totio			A A	(-0 1/)		TT 31
1 90410	एजन्सा	क्य कन्द्र	क्रिय की तिथि	मित्रा (कु० म)	दर	मल्य
	,			(3 /	*	0

घोषणा:— मैने भली भांति देख परखकर अपना व्यक्तिगत, भूमि तथा बैंक सम्बन्धी विवरण अंकित किया है और उसकी प्रति अपने पास सुरक्षित रख ली है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा अंकित कोई तथ्य या सूचना गलत पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। विभाग द्वारा मेरें विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

> हस्ताक्षर किसान का हस्ताक्षर

नोट:— कृपया पंजीकरण प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज्ड खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक गेहँ विक्रय के समय खरीद केन्द्र पर अवश्य ले जाएँ। मेरे द्वारा आधार, बैंक पासबुक, खतौनी आदि में अंकित कृषक के नाम, फोटो व अन्य सूचनाओं आदि का मिलान कर लिया गया है। यदि भविष्य में गेहूँ क्रय के उपरान्त कोई तथ्य या सूचना गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी हूंगा।

	केन्द्र प्रभारी
	हस्ताक्षर
मेरे द्वारा दिनांक को गेहूँ विक्रय की पावती-पत्र प्राप्त की गयी।	
	किसान का हस्ताक्षर
(क्रय प्रभारी उपयोग हेत्)	

पावत्री-पत्र

नोटः केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान से गेहूँ क्य के उपरान्त मैन्युअली भर कर प्राप्त कराया जाये।

पंजीयन आई०डी०	किसान का नाम	
एजेंसी का नाम	क्य केन्द्र का नाम	
क्रय की तिथि	क्य गेहूँ की मात्रा (कु० में)	
टोकन की स्थिति	धनराशि	

केन्द्र प्रभारी का नाम हस्ताक्षर